



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-28112022-240615
CG-GJ-E-28112022-240615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]
No. 611]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 नवंबर, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, 2022

आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी021.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 28(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी वेबसाइट के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य भारत सरकार और अन्य प्रासंगिक अभिकरणों के मानकों और दिशानिदेशों के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों की तुलना में सर्वोत्तम दर्जे की वेबसाइट विकसित करने के लिए आईएफएससीए के लिए सक्षम ढांचा प्रदान करना है।

अध्याय 1

प्रारंभिक

लघु शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें नीचे दिया गया है, और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा:
- (क) "अधिनियम" का अर्थ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 50) है;
- (ख) "प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;
- (ग) "सीईआरटी-इन" भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को संदर्भित करता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B की उप-धारा (1) के तहत स्थापित संस्था है;
- (घ) "सामग्री" में वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी, दस्तावेज़ और सामग्री (पाठ्य, दृश्य या श्रव्य) शामिल है;
- (ङ) "होस्टिंग सेवा प्रदाता" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा नियोजित सेवा प्रदाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ बहु-स्तरीय सुरक्षा, प्रभावी और नियमित बैक-अप और आपदा से उबरने के लिए अवसंरचना प्रदान करता है और भारत सरकार के विद्यमान दिशानिदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है;
- (च) "विनियम" का अर्थ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, 2022 है; तथा
- (छ) "वेबसाइट" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा डिजाइन, विकसित और अनुरक्षित की गई वेबसाइट है।

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम या अधिनियमों की पहली अनुसूची में विहित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या कतिपय सांविधिक रूपांतरण या पुनः अधिनियमन में परिभाषित हैं, के अर्थ वही होंगे जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिए गए हैं।

अध्याय II**वेबसाइट का अनुरक्षण**

3. प्राधिकरण जनता को प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से, इन विनियमों में निर्दिष्ट ढंग से और इन विनियमों के अनुसार वेबसाइट को डिजाइन, विकसित और अनुरक्षित करेगा।
4. वेबसाइट को भारत सरकार और/या संगत अभिकरणों के विद्यमान दिशानिदेशों के अधीन निर्धारित ढंग से डिजाइन, विकसित और अनुरक्षित किया जाएगा।
5. वेबसाइट को भारत सरकार और/या संबंधित अभिकरणों के विद्यमान दिशानिदेशों के अनुसार 'gov.in' या 'nic.in' डोमेन के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।
6. वेबसाइट के लिए होस्टिंग सेवा प्रदाता का चयन, अन्य बातों के साथ-साथ, हाई-स्पीड नेटवर्किंग, भंडारण और सुरक्षा अवसंरचना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
7. प्राधिकरण उभरती प्रौद्योगिकियों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, वेबसाइट की गुणवत्ता में सुधार के लिए वेबसाइट को नया रूप दे सकता है, पुनर्गठित कर सकता है या समाधान को किसी अन्य डोमेन/होस्ट में प्रवासित कर सकता है।

अध्याय III**वेबसाइट पर सामग्री**

8. वेबसाइट पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा:
- (क) प्राधिकरण के उद्देश्य, कार्य और संरचना;
- (ख) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र, दिशानिदेश आदि;
- (ग) जनता/हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी परामर्श पत्र;
- (घ) प्राधिकरण की रिपोर्ट और प्रकाशन;

- (ड) प्राधिकरण द्वारा सृजित समाचार और प्रेस विज्ञप्तियां;
- (च) प्राधिकरण द्वारा व्यापार को सरल बनाने के लिए किए गए कतिपय उपायों सहित किए गए की गई विकास पहलें;
- (छ) ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति या प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य समान सेवाओं जैसी इंटरैक्टिव सामग्री;
- (ज) पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी के तत्व जिन्हें प्राधिकरण समाविष्ट करना चाहता है;
- (झ) प्राधिकरण द्वारा जारी भर्ती अधिसूचनाएं;
- (ञ) प्राधिकरण द्वारा जारी की गई निविदाएं;
- (ट) प्राधिकरण की संपर्क जानकारी;
- (ठ) साइटमैप, अस्वीकरण/वेबसाइट उपयोग के नियम और शर्तें; तथा
- (ड) ऐसी अन्य जानकारी जो या तो वैधानिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हो या जिसे प्राधिकरण प्रसारित करना चाहता है।
9. (1) वेबसाइट की सामग्री को इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि उपयोगकर्ता संग्रहित जानकारी सहित सभी प्रासंगिक सूचनाओं को आसानी से ट्रैक कर सके।
- (2) कालातीत या पुरानी सामग्री को हटाया जा सकता है, और अन्य सामग्री को उनकी प्रकृति और प्रासंगिकता के आधार पर उपयुक्त रूप से संग्रहित किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट पर सामग्री हमेशा प्रामाणिक, सटीक और अद्यतित बनी रहे।

अध्याय IV

सुरक्षा और लेखा-परीक्षा

सुरक्षा

10. प्राधिकरण सभी प्रकार के साइबर सुरक्षा खतरों या प्राकृतिक आपदाओं सहित किसी भी अन्य खतरों के प्रति वेबसाइट के कामकाज को संरक्षित करने के पर्याप्त उपाय करेगा, और ऐसी स्थिति में इसकी बहाली और पुनर्प्राप्ति के लिए तत्काल उपाय करेगा।

अंकेक्षण

11. वेबसाइट का सुरक्षा ऑडिट भारत सरकार और/या संबंधित अभिकरणों के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप और इनके अधीन निर्धारित तरीके से सीईआरटी-इन के पैनल वाले अभिकरणों से कराया जाएगा।
- बशर्ते कि इस तरह की सुरक्षा ऑडिट आवश्यक रूप से होस्टिंग से पहले और साथ ही वेबसाइट के प्रमुख अद्यतन के बाद आयोजित किया जाएगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./431/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 25th November, 2022

International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Website) Regulations, 2022

IFSCA/2022-23/GN/REG021. - In exercise of the powers conferred under Section 28(1) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby notifies the following regulations for maintenance of its website, namely: -

Objective

These regulations aim to provide an enabling framework for IFSCA to develop a best-in class website, comparable to those of other international financial sector regulators, while conforming to the standards and guidelines of Government of India and other relevant agencies.

CHAPTER I PRELIMINARY

Short Title and Commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Website) Regulations, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly:
 - (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019);
 - (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under Section 4(1) of the Act;
 - (c) “CERT-In” refers to the Indian Computer Emergency Response Team, which is the agency established under sub-section (1) of Section 70B of the Information Technology Act, 2000;
 - (d) “content” includes all information, documents and material (textual, visual or audio) that is made available on the website;
 - (e) “hosting service provider” means a service provider engaged by the Authority to ensure compliance of extant guidelines of the Government of India, *inter-alia*, by providing infrastructure to enable multi-tier security, effective and regular back-up and disaster recovery;
 - (f) “regulations” means International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Website) Regulations, 2022; and
 - (g) “website” means the website designed, developed, and maintained by the Authority.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II MAINTENANCE OF WEBSITE

3. The Authority shall design, develop, and maintain a website, in accordance with and in the manner specified in these regulations, for the purpose of disseminating the relevant information to the public.
4. The website shall be designed, developed, and maintained in accordance with and in the manner prescribed under extant guidelines of the Government of India and/or relevant agencies.
5. The website shall be registered under ‘gov.in’ or ‘nic.in’ domain, in accordance with the extant guidelines of the Government of India and/or relevant agencies.
6. The hosting service provider for the website shall be chosen, *inter-alia*, keeping in mind the requirements of high-speed networking, storage and security infrastructure.
7. The Authority may revamp and restructure the website or migrate the solution to another domain/host to improve the quality of the website, in line with emerging technologies and international best practices.

CHAPTER III CONTENT ON WEBSITE

8. The website may, *inter-alia*, display the following:
 - (a) Objectives, Functions and Composition of the Authority;

- (b) Rules, Regulations, Notifications, Circulars, Guidelines etc. issued by the Authority from time to time;
 - (c) Consultation papers issued by the Authority seeking public/ stakeholders' comments;
 - (d) Reports and Publications of the Authority;
 - (e) News and Press Releases generated by the Authority;
 - (f) Development initiatives, including any ease of doing business measures undertaken by the Authority;
 - (g) Interactive content such as online application, application status or any other similar services extended by the Authority;
 - (h) Elements of supervisory technology that the Authority wishes to incorporate;
 - (i) Recruitment notifications issued by the Authority;
 - (j) Tenders floated by the Authority;
 - (k) Contact Information of the Authority;
 - (l) Sitemap, Disclaimer/ Terms and Conditions of website use; and
 - (m) such other information which may either statutorily be required to be displayed or that the Authority wishes to disseminate.
9. (1) The content of the website may be organized in such a manner so that user may be able to track all the relevant information easily, including the archived information.
- (2) Expired or outdated content may be removed, and other content suitably archived, based on their nature and relevance, so as to ensure that content on the website is always authentic, accurate and up-to-date.

CHAPTER IV SECURITY AND AUDIT

Security

10. The Authority shall take adequate measures to secure the functioning of the website against all types of cyber security threats or any other threats including natural disasters, and shall take immediate measures for its restoration and recovery, in case of such an eventuality.

Audit

11. The website shall undergo a security audit, from empaneled agencies of the CERT-In, in accordance with and in the manner as prescribed under extant guidelines of Government of India and/ or relevant agencies.

Provided that such security audit shall necessarily be conducted prior to hosting as well as after major updation of the website.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./431/2022-23]